

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur	Iresh Swami N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University, Solapur	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)	S. Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	S. KANNAN Annamalai University, TN
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University



“मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम से संचालित आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना का अध्ययन”

डॉ. प्रमोद तिवारी

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

सारांश

आदिवासी समाज वह समाज है, जो कि भारत में सभ्यता से दूर निवास करता है और जो मानव सभ्यता के आदिम-स्तर पर जीवन गुजर बसर करता है। यह समाज पूरे भारतवर्ष में अनेक इलाकों में मानव समूह के रूप में अत्यधिक पिछड़ेपन में जीवन व्यतीत करता है। ये प्रायः शहरी अनुशासित विकसित सभ्यता से दूर जंगली, पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में रहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। संविधान निर्माण के पश्चात इनको भारत सरकार द्वारा एक अनुसूची के अन्तर्गत रखा गया है, ताकि इन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

मुख्य शब्द - ।

प्रस्तावना -

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट १९५६ की धारा २५ (लाभ के लिए नहीं) के अंतर्गत २६ सितम्बर १९६४ में की गई। निगम द्वारा प्रदेश के आदिवासीजनों के कल्याणार्थ विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन ०१ अप्रैल १९६५ से प्रारंभ किया गया है।

म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजनाएँ, भारत सरकार द्वारा, मध्यप्रदेश के लिए घोषित आदिवासी सदस्यों की स्वरोजगार प्रदाय करने की योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस वर्ग के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आवेगा और योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त हितग्राही गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेंगे। आदिवासी वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार इकाई स्थापित करना चाहते हैं परन्तु आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्वरोजगार इकाई नहीं लगा पाते हैं उनकी रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के

लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य सहायता भी प्रदान की जाती है।

जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन लिखते हैं - “स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुशरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।”

डॉ. रिवर्स के मतानुसार - “जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।”

डॉ. मजूमदार के अनुसार - “एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और परस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।”

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार - “एक जनजाति परिवारों का संकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू-भाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्रायः अन्तर्विवाह नहीं करती है।”

हॉबल के अनुसार - “एक जनजाति एक सामाजिक समूह है, जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है, जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक् करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है।”

चार्ल्सविनिक के अनुसार - “एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। वह सामाजिक उपसमूहों, जैसे गोत्रों या गाँवों को सम्मिलित कर सकता है।”

रॉल्फ पिडिंगटन के अनुसार - “हम एक जनजाति की, व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो कि एक सामान्य भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति मानव-समूह है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करता है।”

म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का उद्देश्य प्रदेश के आदिवासियों का - सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना है। शोषण समाप्त कर उन्हें विकसित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। आदिवासीजनों को आर्थिक लाभ पहुँचाकर विकसित करना है जिससे कि, हितग्राही आत्मनिर्भर हो सके। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराकर उसे ब्याज सहित वसूल करना है। आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधी विकास व उनमें साफ-सफाई के प्रति जागरूकता लाना। आदिवासियों को



अशिक्षा, शोषण, अत्याचार, बेराजगारी, गरीबी, प्रदूषण, अंधविश्वास, ऋणग्रस्तता, श्रम के शोषण से सुरक्षा। आदिवासी भाषा, कला, संस्कृति, रीति-रिवाज व परम्पराओं का संरक्षण एवं संवर्धन। आपदाग्रस्त आदिवासियों का पुर्नवास। बहुआ आदिवासी श्रमिकों की मुक्ति व पुर्नवास। गृह निर्माण हेतु आदिवासियों को ऋण उपलब्ध कराना।

विश्लेषण –

जनजातीय महिलाओं का उत्थान म.प्र. आ.वि.वि.नि. का पहला केन्द्र बिन्दु है। यह महसूस किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनजातीय महिलाएँ सार्थक सहयोग दे सकती हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए म.प्र. आ.वि.वि.नि. ने केवल अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु ‘आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना’ नामक रियायती योजना शुरू की है। इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

पात्रता – १. योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता उन महिला आदिवासी जनों को होती है जो म.प्र. की निवासी हों और भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए घोषित आदिवासी वर्ग की सदस्य हों। २. लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा सीमा के दोगुने अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में रु. ३६५००.०० तथा शहरी क्षेत्रों रु. ५४५००.०० से अधिक नहीं होनी चाहिए। ३. लाभार्थी की आयु १८ वर्ष से कम न हो। ४. लाभार्थी द्वारा पूर्व में कहीं से ऋण नहीं लिया गया हो। ५. लाभार्थी को निगम की किसी भी अन्य योजना का लाभ प्राप्त न हुआ हो।

प्रक्रिया – १. योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलाओं को निगम के शाखा प्रबंधक से या आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों – सहायक आयुक्त / सहायक परियोजना प्रशासक/जिला संयोजक से संपर्क करना पड़ता है। २. विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुए आदिवासी महिला आवेदकों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से ग्राम सभा की अनुशंसा पर, जिले में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है।

एकक लागत – म.प्र. आ.वि.वि.नि. प्रति एकक/लाभकारी केन्द्र हेतु ५००००.०० रुपये तक की लागत वाली परियोजना/योजना के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है।

प्रवर्तक का अंशदान – आवेदक से कोई अंशदान राशि नहीं ली जाती है।

ब्याज दर – इस योजना के लिए महिला लाभार्थियों से ४ प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिकतम ब्याज लिया जाता है।

पुर्नभुगतान अवधि – ऋण का पुर्नभुगतान उपयुक्त विलम्बन अवधि (मोरटोरियम पीरियड) सहित १० वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, तिमाही/अर्द्ध वार्षिक किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक योजना/परियोजना के लिए पुर्नभुगतान अवधि का उल्लेख आशय (मंजूरी) पत्र में किया जाता है।

सामान्य – १. वित्तीय सहायता केवल म.प्र. आविनि के माध्यम से ही दी जाती है। २. म.प्र. आविनि द्वारा रूग्ण/विद्यमान इकाइयों के लिए मियादी ऋण/पूरक ऋण नहीं दी जाती है। ३. लाभार्थी परिसम्पत्तियों के विशेष आकार एवं प्रकार, जिसे वह प्राप्त करना चाहते हैं, के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

योजना के संबंध में जानकारी के लिए संपर्क सूत्र – १. विकासखंड स्तर – विकास खंडों में कार्यरत विभाग के विकासखंड अधिकारी/क्षेत्र संयोजक। २. जिला स्तर – निगम के शाखा प्रबंधक/जिले में कार्यरत आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक। ३. मुख्यालय स्तर – निगम के प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक।

निष्कर्ष –

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का हितग्राहियों के परम्परागत व्यवसाय एवं व्यवसायिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ा है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो वर्तमान में प्रचार-प्रसार के साधन हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में ग्रामीण, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को निगम द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता है और पता न चलने के कारण वह आदिवासी वर्ग भी वंचित रह जाता है जिन्हें इन योजनाओं के लाभ की सक्त आवश्यकता है।

संदर्भ –

१. ‘आदिवासी वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं की नियमावली १९९५ म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, म.प्र. शासन भोपाल १९९०,
२. ‘आदिवासी वर्ग के विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान से संबंधित योजनाएँ, मार्गदर्शिका एवं प्रक्रिया १९९८ म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, म.प्र. शासन भोपाल
३. ‘आदिवासी वर्ग के विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान से संबंधित योजनाएँ, मार्गदर्शिका एवं प्रक्रिया १९९८ म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, म.प्र. शासन भोपाल
४. द्विवेदी राधेश्याम, म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, २०००
५. वर्मा एवं गुरु, म.प्र. जिला गजेटियर, १९९२.
६. सेन अमर्त्य, आर्थिक विषमता, २००
७. गुप्त शिवकुमार, प्राचीन भारत का इतिहास, १९९९
८. Mishra and Puri, Indian Economy, 1999
९. Lal, S.N. and Pant, G.C., Indian Economic Development, 1972
१०. Pajnt, J.C. and Seth, M.L., History of Economic Thoughts, 2001



डॉ. प्रमोद तिवारी

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal

For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org